सं० जो०वि/यमुना/32-83/55958.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज एक्सीयन ओपरेशन डिवीजन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, यमुना नगर, के श्रमिकों तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है:

और चूंकि राज्यपाल हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (I) के खंड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ठ मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तों विवादग्रस्त मामला (मामलें) है/हैं, अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामलें) है/हैं न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है।

क्या हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के ओपरेशन डिवीजन यमुनानगर के ऐसे दैनिक वेतन भोगी श्रमिक जिन्होंने 240 दिन की लगातार सेवा कर चुके हैं वह वर्कचार्ज टी० मेंट नियुक्त होने के हकदार हैं और क्या वह तमाम वैट सुविधायें तथा लाभ जो वर्कचार्ज टी० मैट को मिल रहे हैं के हकदार ह? यदि हां तो किस विवरण से ?

सं० जो.वि./एफ.डी,/197-83/55999.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज पी. एच. फोरजिंग प्लाट नं० 300, सैक्टर-24, फरीदाबाद, के श्रमिकों तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि राज्यपाल हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (I) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियय की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामलें जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामले) है/हैं, अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामलें) है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

1. क्या श्रमिक वर्ष 1981-82 तथा वर्ष 1982-83 के बौनस के हकदार हैं ? यदि हैं तो, किस विवरण मे ?
2. क्या श्रमिक वर्दियों के लेने के हकदार हैं ? यदि हैं तो किस विवरण में ?
3. क्या श्रमिक हीट अलाऊंस के हकदार हैं ? यदि हैं तो किस विवरण में ?
4. क्या श्रमिक राशी भत्ता के हकदार हैं ? यदि हैं तो किस विवरण में ?

एल. सी. गुप्ता,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

श्रम विभाग

आदेश

18 अक्तूबर, 1983

सं० औ.वि./फरीदाबाद/42-83/56638.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राए है कि मैसर्ज विक्टोरा टूल इंजिनियर्स प्लाट नं० 46 सैक्टर 25, बल्लबगढ़ के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त हैं न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है:—

क्या सर्वश्री कैलाश, वेद प्रकाश, सतपाल, फतेह व इन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वे किस राहत के हकदार है ?

सं० ओ०वि./फरीदाबाद/42-83/56645.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाले सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल मैसर्ज विक्टोरा टूल इन्जिनियर्स प्लाट नं० 46, सैक्टर-25, बल्लबगढ़ के श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल जारी रखने पर प्रतिबन्ध लगाते हैं क्योंकि पूर्वोक्त समुत्थान (कंसर्न) के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य विवादनिर्णय हेतु औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा फरीदाबाद को निर्दिष्ट किया जा चुका है ।

मुनीश गुप्ता,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 10 अक्तूबर, 1983

सं. ओ.वी./पानीपत/65-83/54897.—चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राए है कि मैसर्ज एन० ए० एन० वूलन मिल्ज., गोहाना रोड, पानीपत के श्रमिक श्री राम राज तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं:

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं ।

क्या श्री राम राज की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वी०/एफ० डी०/222-83/54903.—चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राए है कि मैसर्ज गर्ग एसोसियेटस, प्लाट नं० 246, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री महिन्द्र सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बधित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं;

क्या श्री महिन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?